भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2866
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

धोखाधड़ी जोखिम संकेतक

2866. श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के अंतर्गत जोखिम की पहचान हेतु अपनाई गई वर्गीकरण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) प्लेटफ़ॉर्म का ब्यौरा क्या है और उसकी संख्या कितनी है जिन्होंने अपने सिस्टम में एफआरआई अलर्ट को एकीकृत करना शुरू कर दिया है;

(ग) यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म के साथ एफआरआई के एकीकरण के परिणामस्वरूप अब तक रोके गए वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म और एफआरआई के विकास के लिए किए गए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल राशि कितनी है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) विकसित किया है यह एक जोखिम-आधारित मीट्रिक है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के

मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम वाले नंबर के रूप में वर्गीकृत करता है। एफआरआई हितधारकों-विशेषकर बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सेवा प्रदाताओं को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने और किसी मोबाइल नंबर के उच्च जोखिम होने की स्थिति में अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय करने का अधिकार देता है। एफआरआई डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) के माध्यम से हितधारकों के लिए उपलब्ध है।

आरबीआई ने बैंकों और भुगतान सेवा ऑपरेटरों (पीएसओ) को अपने संबंधित प्रणालियों के साथ एफआरआई को एकीकृत करने और आवश्यक रियल टाइम प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल (जैसे अलर्ट, लेनदेन में देरी, चेतावनी, लेनदेन रोकना आदि) को अपनाने के लिए अलग से परामर्शिका जारी की है। डीआईपी पर प्रस्तुत की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के आधार पर, 34 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और यूपीआई सेवा प्रदाताओं ने 10.02 लाख बैंक खातों/भुगतान वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और 3.05 लाख बैंक खातों/भुगतान वॉलेट पर डेबिट/क्रेडिट प्रतिबंध लगा दिए हैं।

(घ) दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) परियोजना में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न घटक हैं। दूरसंचार विभाग की डीआईयू परियोजना का कुल परिव्यय 5 वर्षों की अवधि के लिए 228.16 करोड़ रुपये है। डीआईपी (डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म) और एफआरआई (धोखाधड़ी जोखिम संकेतक) का विकास डीआईयू परियोजना के अंतर्गत किया गया है।

*****